

# प्रेस नोट दिनांक-05.10.2024

---

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जूडि)/जेएम चकिया जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 26.03.2015 को धारा 420,406,506 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रामलोक यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी सिकन्दरपुर चकिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 70/2015 धारा 420,406,506 भादवि थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विपीन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी दुर्गेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-05.10.2024 को पीठासीन श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जूडि)/जेएम चकिया जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.रामलोक यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी सिकन्दरपुर चकिया जनपद चन्दौली को एक वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

## थाना बलुआ द्वारा चोरी के माल के साथ 02 नफर शातिर चोर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली श्री विनय कुमार सिंह व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सकलडीहा श्री रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी के क्रम में थानाध्यक्ष बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 154/24 धारा 305ए बीएनएस से सम्बन्धित दो नफर अभियुक्तगण 1.इफतेखार अली उर्फ गोलू पुत्र मोनौअर अली नि0 ग्राम सुरतापुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली 2. रोहित यादव पुत्र राजाराम यादव नि0 ग्राम सिंगहा थाना बलुआ जनपद चन्दौली को मय चोरी के माल के साथ ग्राम सराय से दिनांक 04.10.2024 को समय 22:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

**संक्षिप्त विवरण घटना:-** दिनांक 13.08.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सीमा पाण्डेय पत्नी स्व0 लालबहादुर पाण्डेय निवासिनी ग्राम लक्ष्मणगढ़ थाना बलुआ जनपद चन्दौली के घर में घुसकर अज्ञात चोरो द्वारा एक अदद इनवार्टर, एक अदद बैटरी, एक अदद सिलेण्डर (भारत गैस), एक अदद इन्डेक्शन चूल्हा चोरी किया गया था। जिसमें वादिनी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 154/24 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत कर तलाश की जा रही थी कि दिनांक 04.10.2024 को समय 22.30 बजे उसके ग्राम सराय स्थित बाग बने मकान अभियुक्तगण 1.इफतेखार अली उर्फ गोलू पुत्र मोनौअर अली नि0 ग्राम सुरतापुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली 2. रोहित यादव पुत्र राजाराम यादव नि0 ग्राम सिंगहा थाना बलुआ जनपद चन्दौली को मय चोरी गये माल एक अदद इनवार्टर, एक अदद बैटरी, एक अदद सिलेण्डर (भारत गैस), एक अदद इन्डेक्शन चूल्हा के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार वाराणसी भेजा जा रहा है। फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण 1. इफतेखार अली उर्फ गोलू पुत्र मोनौअर अली नि0 ग्राम सुरतापुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली 2. रोहित यादव पुत्र राजाराम यादव नि0 ग्राम सिंगहा थाना बलुआ जनपद चन्दौली 3. भीमसेन पाण्डेय पुत्र हरिवंश पाण्डेय नि0 लक्ष्मणगढ़ थाना बलुआ जनपद चन्दौली के नाम की बढोत्तरी की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. इफतेखार अली उर्फ गोलू पुत्र मोनौअर अली नि0 ग्राम सुरतापुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 19 वर्ष
2. रोहित यादव पुत्र राजाराम यादव नि0 ग्राम सिंगहा थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष

### विवरण बरामदगी -

1. एक अदद इन्वार्टर
2. एक अदद बैटरी
3. एक अदद सिलेण्डर (भारत गैस),
4. एक अदद इन्डेक्शन चूल्हा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

अभियुक्त रोहित यादव

1.मु0अ0सं0- 154/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.एनसीआर न0- 173/17 धारा 498 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली

अभियुक्त इफ्तेखार उर्फ गोलू

1.मु0अ0सं0- 154/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 रामबिहारी सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3. हे0का0 कादिर खाँ थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4. का0 अमरेश सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक-05.10.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 14.04.2001 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि० के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मुटुर पुत्र रामकृत बिन्द निवासी ओदरा थाना धानापुर जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 56/2001 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटारिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-05.10.2024 को पीठासीन सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.मुटुर पुत्र रामकृत बिन्द निवासी ओदरा थाना धानापुर जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1600 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-05.10.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 28.03.1994 को धारा 379,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.परमानन्द विश्वकर्मा पुत्र रामदुलार निवासी चककोटार थाना हलिया जिला मिर्जापुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 71/1994 धारा 379,411 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटारिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-05.10.2024 को पीठासीन सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1 .परमानन्द विश्वकर्मा पुत्र रामदुलार निवासी चककोटार थाना हलिया जिला मिर्जापुर को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

प्रेस नोट दिनांक-05.10.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 24.10.2001 को धारा 379,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.गुड्डू पुत्र देवनाथ हरिजन निवासी मारुफपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 165/2001 धारा 379,411 भादवि थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-05.10.2024 को पीठासीन सुश्री नूतन (सिविल जज (जूडि)/एफटीसी जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.गुड्डू पुत्र देवनाथ हरिजन निवासी मारुफपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5500 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**प्रेस नोट दिनांक-05.10.2024**

**थाना इलिया जनपद चन्दौली**

**थाना इलिया पुलिस द्वारा 01 टाटा ACE गोल्ड वाहन में क्रूरता पूर्वक लादकर ले जा रहे 06 राशि गोवंशीय पशु बरामद व 03 तस्करों को किया गया गिरफ्तार**

**चंदौली:-** पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा अवैध शराब/ गोतस्करों के विरुद्ध चलाये जा अभियान में दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चक्रिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक दयाराम गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा 01 टाटा ACE गोल्ड वाहन में क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार ले जा रहे 06 राशि गोवंशीय पशु बरामद व 03 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पुलिस कार्यवाही-दिनांक 05.10.2024** को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वारिश फर्नीचर शोरूम के रास्ते एक टाटा ACE सफेद रंग की गाडी जिसका नम्बर UP67AT8005 जिस पर 03 राशि गाय एवं तीन बच्चे लादकर उसी रास्ते से वध हेतु माल्दह गाव की तरफ जाने वाले है। उक्त सूचना के आधार पर उ0नि0 मनेश शंकर द्विवेदी मय हमराह माल्दह नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान एक टाटा ACE सफेद रंग की गाडी आती दिखाई दी जिसको रोककर चेक किया गया तो गाडी से 06 राशि गोवंशीय पशुओ को बरामद किया गया व गाडी के चालक सीट पर एक व्यक्ति तथा चालक के बगल वाली सीट पर बैठे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता अभियुक्तगण व आपराधिक इतिहास-**

1. अभियुक्त प्रहलाद चौबे उर्फ सोनू चौबे पुत्र राममूर्ति चौबे निवासी ग्राम माल्दह थाना इलिया जनपद चन्दौली उम्र 30 वर्ष  
1. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।  
2. मु0अ0सं0-02/2021 धारा 323, 354(क), 427, 452, 504, 506 भादवि थाना इलिया जनपद चन्दौली  
3. मु0अ0सं0-03/2023 धारा 147, 148, 323, 325, 427, 504, 506 भादवि थाना इलिया जनपद चन्दौली
2. अभियुक्त दिलीप चौबे पुत्र रविन्द्र चौबे निवासी ग्राम माल्दह थाना इलिया जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष  
1. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।  
2. मु0अ0सं0-84/2024 धारा 115(2)/351(2)352 भादवि थाना इलिया जनपद चन्दौली

3.नवल किशोर यादव पुत्र राम ध्यान सिंह यादव निवासी ग्राम हसनपुरा थाना ओबरा जिला औरंगाबाद बिहार डाकघर सोनबरसा उम्र 50 वर्ष

1.मु0अ0सं0 102/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।

### **विवरण बरामदगी**

1.06 राशि गोवंशीय पशु व

2.टाटा ACE गोल्ड वाहन नं0- UP67AT8005

3.01 मोबाइल एन्ड्राइड रियलमी नार्जो IMEI No 866097074030858/35

### **गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम**

1.प्र0 नि0 दयाराम गौतम थाना इलिया जनपद चन्दौली।

2. उ0नि0 मनेश शंकर द्विवेदी प्रभारी चौकी कस्बा थाना इलिया जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 साहबदीन यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।

4. हे0का0 हरिकिशन प्रजापति थाना इलिया जनपद चन्दौली।

5.का0 अम्बुज यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।

6. का0 बृजेश कुशवाहा थाना इलिया जनपद चन्दौली

7. का0 आलोक सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।